



स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

जलेसर रोड, दौलतपुर, फिरोजाबाद।

<https://www.asmcfirozabad.edu.in>

E-mail- gmcfirozabad@gmail.com

संख्या- एफजैडडी/2022/1669

दिनांक- 21 सितम्बर, 2022

सेवायोजन विज्ञप्ति

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के विज्ञापन संख्या:-एफजैडडी/2022/1489 दिनांक:-02.09.2022 के क्रम में आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों को वाक-इन-इन्टरव्यू (Walk-In-Interview) पद्धति से (संविदा) के आधार पर भरे जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या निम्नवत् है -

क्र०स०	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह-आचार्य	सहायक आचार्य
1.	सामान्य मेडिसिन	1 सामान्य	-	-
2.	फार्माकोलॉजी	1 अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-
3.	पैथोलॉजी	-	1 अनुसूचित जाति	-
4.	फोरेन्सिक मेडिसिन	-	-	1 सामान्य
5.	कम्युनिटी मेडिसिन	-	1 अन्य पिछड़ा वर्ग	1 अन्य पिछड़ा वर्ग
6.	चर्म एवं गुप्त रोग	-	-	1 अनुसूचित जाति
7.	सामान्य सर्जरी	-	1 अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8.	स्त्री एवं प्रसूति रोग	1 सामान्य	-	1 अन्य पिछड़ा वर्ग
9.	एनेस्थिसिया	-	1 सामान्य	-
10.	रेडियोडायग्नोसिस	1 अनुसूचित जाति	1 अनुसूचित जाति	1 अन्य पिछड़ा वर्ग
	कुल-	04	05	05

*Epidemiologist cum assistant professor

अर्हताएं एवं वेतनमान:- As per NMC/MCI Norms,


- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों को शासनादेश संख्या-104/2016/5044(1)271-1-2019-जी-63/2008 दिनांक 21.12.2019 के अनुसार नियत वेतन रू0 135000/- सह-आचार्यों को नियत वेतन रू0 120000/- एवं सहायक आचार्यों का नियत वेतन रू0 90000/-प्रतिमाह है। वेतन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। भासकीय पत्र संख्या 250/2018/4067/71-1-2017 जी-63/2008, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्यों को संविदा के आधार पर आचार्यों के पद पर नियुक्ति करने हेतु निर्गत शर्तों के अधीन नियत वेतन रू 220000/-प्रतिमाह दिया जायेगा। सेवा शर्तों विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आवेदक को Medical Council of India, Minimum, Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1999 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। इसेक अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
- (विज्ञापित विशिष्टता में):- आचार्यों के रिक्त पदों के सापेक्ष आचार्यों को अनुपलब्धता में सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य आवेदन कर सकते हैं एवं सह-आचार्यों के रिक्त पदों के सापेक्ष सह-आचार्यों की अनुपलब्धता में सहायक आचार्य आवेदन कर सकते हैं।
- चिकित्सा शिक्षक को पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं
- एम0सी0आई0 नई दिल्ली द्वारा सहायक - आचार्य पद के लिये 01 का एस0आर0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा। ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की नियमित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर अथवा तत्काल भी समाप्त की जा सकती है।
- चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात नियमित शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त पुनः बढ़ाया जा सकेगा।

प्रधानाचार्य

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
फिरोजाबाद

संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें ।

12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा । उसे ऐसे कालावधि के लिये बोनस देय नहीं होगा ।
13. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगा ।
14. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सुचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है ।
15. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये । संविदा पर कार्यरत चिकित्सा, शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी ।
16. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी ।
17. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा ।
18. पदों की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है ।
19. इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक—**27.09.2022 (मंगलवार)** को एवं तदोपरान्त प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं ।


प्रधानाध्यापिका,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
फिरोजाबाद